सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-18 शनिवार, दिनांक-26 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:50 बजे अपराह्न तक।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 05 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iv) 17 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-3030 समाज कल्याण विभाग में स्थानांतरित।
(vi) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(vii) 198 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या-3026 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग को इस विषय को गंभीरता से लेकर चलते सत्र में जवाब देने का निदेश दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-3029 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा कहा गया कि माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करे कि तय समय सीमा के अंदर लोगों को मुआवजा का भुगतान हो।

तारांकित प्रश्न संख्या-3037 के निस्तारण के दौरान माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर समीक्षा कर लेने का निदेश दिया गया।

[2] **अन्य चर्चा** :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज हिन्दी की महान रचनाकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवियित्री महादेवी वर्मा जी की जयंती है। महादेवी जी भाव भाषा की अमर शिल्पी थी। उनकी रचनाओं में लोक, समाज, परिवेश और परम्परा शब्द-चित्र की तरह एक सूत्र में बंधे नजर आते हैं। वे छायावादी कविता की मूर्धन्य सर्जक तो थी हीं, साथ ही अद्वितीय गद्यकार भी थीं। शायद इसी लिए महाकवि निराला जी ने उन्हें ''हिन्दी भाषा के मंदिर की सरस्वती'' कहा था।

महादेवी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपसे साझा करना चाहूँगा-

दूर है अपना लक्ष्य महान, एक जीवन पग एक समान,
अलक्षित परिवर्तन की डोर, खींचती हमें इष्ट की ओर,
सृष्टि का है यह अमिट विधान, एक मिटने में सौ वरदान,
नष्ट कब अणु का हुआ प्रयास, विफलता में है पूर्ति प्रयास।

मैं अपने तथा पूरे सदन की तरफ से आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी को उनकी जयंती पर सादर भावांजलि अर्पित करता हूँ।

[3] <u>कार्यस्थगन प्रस्ताव</u> :-

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

परन्तु माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा के अनुरोध पर आसन द्वारा उन्हें अपनी सूचना को संक्षिप्त रूप से पढ़ने का अवसर दिया गया।

[4] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री मिथिलेश कुमार	(ii)	श्री विनय कुमार
(iii)	श्रीमती मंजु अग्रवाल	(iv)	श्रीमती गायत्री देवी
(v)	श्री भरत बिंद	(vi)	श्रीमती रेखा देवी
(vii)	श्री अरूण शंकर प्रसाद	(viii)	श्री अजय कुमार
(ix)	श्री रामबली सिंह यादव	(x)	श्री इजहारूल हुसैन
(xi)	डा० निक्की हेम्ब्रम	(xii)	श्री रामवृक्ष सदा
(xiii)	श्री पवन कुमार जायसवाल	(xiv)	श्री राम विशुन सिंह
(xv)	श्री राम रतन सिंह	(xvi)	श्री ललन कुमार
(xvii)	श्री महबूब आलम	(xviii)	श्री विजय कुमार मंडल
(xix)	श्री कृष्णनंदन पासवान	(xx)	श्री राजवंशी महतो
(xxi)	श्रीमती नीतु कुमारी	(xxii)	श्री विजय कुमार
(xxiii)	श्री ललित नारायण मंडल	(xxiv)	श्री सुनील मणि तिवारी
(xxv)	श्री समीर कुमार महासेठ	(xxvi)	श्री निरंजन राय
(xxvii)	श्री मो० इसराईल मंसूरी	(xxviii)	श्री छोटे लाल राय
(xxix)	श्रीमती प्रतिमा कुमारी	(xxx)	श्री सुर्यकान्त पासवान
(xxxi)	श्री मिश्री लाल यादव	(xxxii)	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
(xxxiii)	श्री पवन कुमार यादव	(xxxiv)	श्री विद्या सागर केशरी
(xxxv)	श्री विजय कुमार खेमका	(xxxvi)	श्री मनोज मंजिल
(xxxvii)	श्री प्रकाश वीर	(xxxviii)	श्री राकेश कुमार रौशन
(xxxix)	श्री शमीम अहमद	(xl)	श्रीमती भागीरथी देवी
(xli)	श्री रणविजय साहू	(xlii)	श्रीमती विभा देवी
(xliii)	श्रीमती रश्मि वर्मा	(xliv)	श्री अजय कुमार सिंह

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री कुमार शैलेन्द्र एवं अन्य सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 24 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार झा द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं अन्य सभासदों का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

इस उत्तर से माननीय सदस्यों के संतुष्ट न हो पाने की स्थिति में आसन द्वारा इस विषय पर नियमन दिया गया कि इस मामले को आसन देखेगा तथा संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा करेगा।

इस दौरान माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ के कतिपय टिप्पणी पर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी, जिसके पश्चात् आसन द्वारा उक्त टिप्पणी को कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाने का निदेश दिया गया।

(iii) माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार झा द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

[6] आसन की सूचना :-

किसी भी जनतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, भारत की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुछ कमियों तथा आज के दौरान होने वाले धार्मिक उन्मादों ने मानवीय गरिमा को काफी ठेस पहुँचायी थी। प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी।

शुरुआत में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन समय के साथ देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक आवश्यकताओं को देखते हुए नागरिकों को जागरूक करने तथा उनमें कर्त्तव्यबोध की भावना का प्रसार करने के लिए 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिये हमारे संविधान में भाग-4 में अनुच्छेद 51ए के अंतर्गत मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई।

दिनांक 11.03.2022 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि 26 मार्च को विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन के उपरांत संवैधानिक अधिकार व कर्त्तव्य के विषय पर जागरूकता के लिए नियम 43 के तहत विमर्श होगा। इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति भी हुई थी। इस सहमति के आलोक में आज संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य विषय पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा में आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा गणतंत्र की धरती बिहार से कर्त्तव्य के शंखनाद की घोषणा राज्य के लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मॉदिर से होगी। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य और देश के सभी युवाओं तथा जागरूक नागरिकों तक कर्त्तव्यबोध का भाव ध्वनिमत से पहुँच पाएगा। हमने अपने संविधान की मूल प्रति भी लोकसभा से मंगाई है, जिसे सदन के अंदर ही सभी माननीय सदस्यों को प्रदान की जाएगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज की यह पूरी परिचर्चा वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी को अधिकार के साथ देश और समाज के प्रति उनके जिम्मेदारी के प्रति सचेष्ट करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों से "संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य" विषय पर होने वाले विमर्श के दौरान सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया तथा सभी दलीय नेताओं से इसमें विशेष रूचि लेने की बात कही गयी।

तदुपरान्त सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.27 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[7] **विधायी कार्य - राजकीय (वित्तीय) विधेयक:-**

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना-अपना पक्ष रखा:-

1. श्री राकेश कुमार रौशन
2. श्री विनोद नारायण झा
3. श्री ललित नारायण मंडल
4. श्री अजीत शर्मा
5. श्री मनोज मंजिल
6. श्री अजय कुमार
7. श्री राम रतन सिंह
8. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी

तत्पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया।

तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] **सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-**

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ने सदन की सहमति से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय **"संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने"** पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा अपना पक्ष रखा।

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि यह संविधान जिसने हमें स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार दिया उसे संविधान सभा के सदस्यों के अथक प्रयास से बनाया गया था। ।। दिसम्बर, 1946 को डॉ० राजेन्द्र बाबू के स्थायी सभापति बनने पर डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था:-

यह केवल संयोग की ही बात नहीं है कि हमारे अस्थायी और स्थायी सभापति डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दोनों ही बिहार के हैं।

यह हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि प्रतिभा जिसने संविधान सभा का सभापतित्व कर एक दुर्लभ संविधान की रचना की और हमें मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य दोनों दिया। हम सभी जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि हम समाज में, अपने क्षेत्र में संवैधानिक कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महती भूमिका निभायें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह विमर्श संवैधानिक कर्त्तव्यों के निर्वाह के प्रति मील का पत्थर साबित होगा।

तदुपरान्त इस विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना-अपना पक्ष रखा:-

1. श्री नीतीश मिश्रा
2. श्री सुधाकर सिंह

3. श्री राज कुमार सिंह
4. श्री चन्द्रशेखर
5. श्री अजय कुमार सिंह
6. श्री राकेश कुमार रौशन
7. श्री शमीम अहमद
8. श्री महबूब आलम
9. श्री ललन कुमार
10. श्री अजय कुमार
11. श्री सुर्यकान्त पासवान
12. श्री अवध विहारी चौधरी
13. श्री जीतन राम मांझी
14. श्री मो० इसराईल मंसूरी

तत्पश्चात माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सामान्य विमर्श के विषय पर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया कि आज जिस विषय पर सदन में विमर्श किया गया है, उसे राज्य के सभी विद्यालयों तक पहुँचाना चाहिए।

तदुपरान्त माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सामान्य विमर्श के विषय पर अपना पक्ष रखा गया।

विमर्शोपरान्त आसन द्वारा विस्तृत रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उसके कर्त्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने की बात कही गयी। आसन द्वारा कहा गया कि हमें अपार प्रसन्नता हो रही है कि हम सभी ने संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर सदन में विमर्श किया। सार्थक विमर्श ने अनेक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण किया है, जिसपर चलकर भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बिहार ने हमेशा इस संदर्भ में अग्रणी और प्रभावी भूमिका निभाई है। इसका संदेश पूरे देश में जायेगा, इसकी चर्चा पूरे देश के लोगों के सामने होगी। भारतीय संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, साथ ही इसमें हमारे कर्तव्यों को भी परिभाषित किया गया है। आप जनप्रतिनिधि हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं और लाखों लोगों के विश्वास को जीतकर कर आये हैं। इसलिए लोगों का विश्वास ना टूटे, हमें अपने कर्तव्य बोध का आभास आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में घोषणा किया था कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25 वर्षों के उपरान्त हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। यह 25 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। अगले 25 वर्ष तक राष्ट्र प्रथम का भाव रखकर हमें अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करना होगा।

अंत में आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि ऋतुओं के राजा वसंत के माहौल में दिनांक 30 मार्च, 2022 की संध्या में सभी माननीय सदस्यों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है।

[9] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 56 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-28 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-26.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।